वर्ष 2 अंक 12 दिसम्बर 1980 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों का वेतन मसला हल

गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों की 28-29 नवंबर की रात से शुरू होने वाली लगातार हड़ताल, 28 नवंबर को देर गए तक सरकार व गोदी कर्मचारियों की चार फेडरेशनों के बीच हुई वार्ता के बाद हुए समझौते के बाद, वापस ले ली गई.

इससे पहले की समझौता-वार्ताएं परिवहन व जहाजरानी मंत्री के अड़ियल रवैये के कारण विफल रहीं. लेकिन देश भर में बंदरगाहों में पूरा काम ठप्प होने की संभावना को समझते हुए प्रस्तावित हड़ताल को समाप्त करने के लिए 28 नवंबर को सरकार ने चारों फेडरेशनों से फिर बातचीत करने का अनुरोध किया. इस दिन लंबे समय तक बातचीत करने के बाद कुछ नतीजे निकले जिससे हड़ताल वापस ले ली गई. इस वार्ता में पर्यटन मंत्री व वित्त मंत्री ने भी भाग लिया था.

गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों ने 18 नबंबर से राष्ट्रव्यापी लगातार हड़ताल करने का निश्चय किया था. और कर्मचारियों के दृढ़ निश्चय को मध्येनजर रखते हुए केंद्रीय परिवहन व जहाजरानी मंत्री ने चारों फेडरेशनों के प्रतिनिधियों को 12 नवंबर को बातचीत के लिए बुलाया था.

बातचीत की शुरूआत परिवहन मंत्री ने स्वयं शुरू की थी व बाद में इस बातचीत को परिवहन सचिव व अन्य अधिकारी जारी रखते रहे. उन्होंने सुझाव दिया था कि गोदी व बंदरगाह मजदूरों का न्यूनतम वेतन 512 रुपये से बढ़ाकर एक जनवरी 1980 से 547 रुपये कर दिया जाएगा. तथा मौजूदा मजदूरों के वेतनों में कम से कम 60 रुपये की बढ़ोतरी होगी. फेडरेशनों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि गोदी व बंदरगाह मजदूरों के वेतनों को सरकार उस सीमा तक ही संशोधित कर सकती है जहां तक सरकार के ऊपर प्रतिवर्ष 16 करोड़ रुपये से अधिक खर्च न पड़े. यह अतिरिक्त खर्च 2 लाख से भी अधिक गोदी व बंदरगाह मजदूरों के वेतन बिल का 12 प्रतिशत है.

किंतु फेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह बता दिया था कि मजदूर भारत सरकार को ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के निर्देशों के तहत वेतन के मुद्दों को सुलझाने की कोशिशों को नामंजूर करते हैं. क्योंकि सरकार द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव इसी दायरे में आते हैं इसलिए मजदूर फेडरेशनें इन्हें स्वीकार नहीं कर सकतीं.

बातचीत असफलता के कगार पर ही थी कि परिवहन मंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया व अपील की कि बातचीत के दरवाजे बंद न किए जाएं. उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे मजदूरों को संतुष्ट कर सकने वाला कोई प्रस्ताव जरूर खोज निकालेंगे किंतु इसके लिए उन्हें कुछ समय की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रस्तावित हड़ताल कम से कम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाए. उन्होंने फेडरेशनों से आग्रह किया कि उन्होंने हाल ही में इस मंत्रालय का भार संभाला है और उन्हें इसकी समस्याओं से वाकिफ होने में कुछ समय लगेगा.

परिवहन मंत्री की अपील व आश्वासन को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन के नेताओं ने हड़ताल को 28 नवंबर तक स्थगित कर दिया.

अधूरी बातचीत 17 नवंबर को फिर शुरू हुई लेकिन नाकामयाब रही. इस बीच वाटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया (सीटू) ने सभी गोदी व बंदरगाह कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे हड़ताल की तैयारियां जारी रखें जिससे कि इसे नाकामयाब बनाने के किसी भी प्रयत्न का डटकर मुकाबला किया जा सके.

26 नवंबर को फिर बातचीत हुई लेकिन यह भी असफल रही. चारों फेडरेशनों ने हड़ताल की अंतिम घोषणा कर दी लेकिन सरकार ने एक बार फिर 28 नवंबर को बातचीत के लिए अनुरोध किया.

28 नवंबर को लंबी बातचीत से जो नतीजे निकले हैं वे इस प्रकार हैं : (1) कई डब्ल्यू. आर. सी. वेतनमानों के न्यूनतम स्तर में परिवर्तन नही किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक वेतनमान

में बढ़ोत्तरी की दर में एक या दो रुपये बढ़ाए जाएंगे और प्रत्येक वेतनमान में चार बढ़ोत्तरी स्तर और बढ़ाए जाएंगे. लेकिन कोई भी वेतनमान 1300 रुपये से ज्यादा का नहीं किया जाएगा. ये वेतनमान 1.1.1980 से लागू होंगे. (2) कई वेतनमानों के मौजूदा महंगाई भत्ते में 363 प्वाइंट पर मान्य महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाएगा और इस तरह तय की गई राशि संशोधित स्थिर महंगाई भत्ता होगी और यह 1.1.1980 से लागू होगा. (3) एक विशेष भत्ता, जिसे सभी कार्यों के लिए वेतन माना जाएगा, उन सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 1.1.80 को कार्यरत रहे होंगे. इस भत्ते की दरें इस प्रकार हैं :

1.1.1980 को मूल वेतन	स्थिर विशेष भत्ता प्रति मास
(1) 325 से 400 रुपये	83 रुपये
(2) 401 से 500	93
(3) 501 से 600	100
(4) 601 से 700	110
(5) 701 से अधिक	125

(4) उन कर्मचारियों के लिए, जो 1.1.80 को या उसके बाद काम पर नियुक्त किए गए हैं न्यूनतम वेतन स्तर पर विशेष भत्ता 75 रुपये होगा. (5) मंत्रालय परादीप, न्यू मंगलोर और टूटिकोरिन की बंदरगाहों के चेयरमैनों को निर्देश देगा कि वे बंदरगाह क्षेत्र में माल-भार पर काम करने वाले मजदूरों के लिए इस समझौते के अनुरूप वेतन देने के लिए शर्तें जारी करे. (6) चार फेडरेशनों द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए मांग पत्र की अन्य माँगों पर जल्दी ही बातचीत की जाएगी. (7) औपचारिक रूप से समझौता लिखा जाएगा और यह समझौता 1.1 1980 से चार सालों के लिए लागू होगा. (8) गोदी व बंदरगाह अधिकारियों को दिए हड़ताल के नोटिस वापस लिए जाते हैं.

वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष एम. एम. लारेंस व महासचिव के. के. राय गांगुली ने फेडरेशन की ओर से नतीजे पर हस्ताक्षर किए.

यह समझौता गोदी व बंदरगाह मजदूरों द्वारा बातचीत के दौरान एकजुट होकर दर्शाये गए दृढ़ निश्चय का परिणाम है. स्थानीय स्तर पर गोदी व बंदरगाह मजदूरों द्वारा लगातार संघर्ष ने और अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने के लिए गंभीर प्रयासों ने सरकार को चारों फेडरेशनों से बातचीत करने के लिए मजबूर किया.

सी. आई. टी. यू. गोदी व बंदरगाह मजदूरों को समूचे देश में एकजुट आंदोलन करके अपने वेतन को सुधारने के लिए हार्दिक बधाई देती है.

वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया ने इस उद्योग में आने वाले नए कर्मचारियों के साथ, जिन्हें 1.1.1980 से पहले नियुक्त मजदूरों की तुलना में कम सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, किए गए भेदभाव पर अपना असंतोष जाहिर किया है. वेतन संरचना में तबदीली न करने से भी यह अप्रसन्न है.

इस फेडरेशन द्वारा की गई जबरदस्त कोशिशों के बावजूद इन असंतोषजनक शर्तों को हल नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ फेडरेशनों ने अंतिम चरण में ढुलमुलपन दर्शाया. इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया ने एकता और संघर्ष की आवश्यकता पर बल देकर नतीजे पर हस्ताक्षर किए हैं.

वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया ने यह भी नोट किया है कि मांगपत्र में उठाए गए अन्य मसलों का अभी हल नहीं हुआ है. इसलिए यह जरूरी है कि गोदी व बंदरगाह मजदूर दृढ़ व एकजुट रहें जिससे उनकी मांगों का संतोषजनक हल प्राप्त किया जा सके. □

फर्टिलाइजर कर्मचारी 16 दिसंबर से लगातार हड़ताल पर

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया तथा नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के प्रबंधकों द्वारा। जनवरी 1979 से नए वेतनमानों की घोषणा करना निश्चित था. इस प्रकार की आशा के अनुरूप सभी यूनियनों ने पिछले समझौते के समाप्त होने से पहले ही नए समझौते के लिए अपने-अपने मांगपत्र दाखिल कर दिए. नया समझौता बातचीत के आधार पर तय हो सकता था किंतु प्रबंधकों ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया. जब जनवरी 1979 के बाद आठ महीने बीत गए और नए समझौते के लिए किसी पहलकदमी का आभास न मिला तो मजदूरों में असंतोष फैलने लगा. इससे घबराकर प्रबंधकों ने बातचीत का दरवाजा खोला. समझौता करने के लिए कई बैठकें हुई किंतु फैसले पर न पहुंचा जा सका.

अप्रैल 1980 में हुई बैठक में प्रबंधकों ने वेतनमानों के सवाल पर जो प्रस्ताव रखा वह नवंबर 1979 में सुझाए गए वेतनमानों से भी कम था. यूनियन ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया. इसके बाद प्रबंधकों ने बातचीत बंद कर दी. यूनियनों को दुबारा आंदोलनात्मक तरीकों का सहारा लेना पड़ा जिसके फलस्वरूप सितंबर में समझौता करने का एक और प्रयत्न किया गया जो फिर असफल रहा. नवंबर 1980 में बातचीत द्वारा समझौता करने का प्रयत्न प्रबंधकों के जिद्दी व असहयोगपूर्ण बर्ताव के कारण एक बार फिर असफल हो गया. ऐसे हालात में जबकि बातचीत से समझौता ढूंढने के सारे प्रयत्न बार-बार विफल होते जा रहे हैं, यूनियनों के पास आंदोलन छेड़ने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह गया है.

इस संदर्भ में केंद्रीय कार्यालय तथा पानीपत, गोरखपुर, हल्दिया, बरौनी, ट्रांबे, कलकत्ता व सिंदरी केंद्रों के कर्मचारी 14 नवंबर को नई दिल्ली में मिले और 16 दिसंबर को सांकेतिक हड़ताल पर जाने का निर्णय किया. यदि प्रबंधक यथार्थवादी समझौता करने को तैयार नहीं होते तो यह सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकती है. □

कश्मीर में भेड़ और ऊन मजदूर संगठित

जम्मू और कश्मीर के शीप एंड वूल वर्कर्स एसोसिएशन की 28 और 29 अक्तूबर को श्रीनगर में हुई कानफ्रेंस में राज्य के 5000 भेड व ऊन मजदूरों के बदतर हालात को सुधारने के लिए एक जबरदस्त आंदोलन शुरू करना निश्चित हुआ है.

राज्य के सभी भागों से यहां तक कि लद्दाख जैसी दूरी पर स्थित स्थान से भी कुल मिलाकर 500 प्रतिनिधि कानफ्रेंस में भाग लेने आये. यह कानफ्रेंस शीप हस्बेंड्री विभाग के बाहर विशेष शामियाना लगाकर आयोजित की गई थी.

भेड़ व ऊन मजदूरों के लिए काम करने के घंटों में कोई सीमा नहीं है. जब भेडों को चराने के लिए 13 हजार फुट की ऊंचाई पर ले जाया जाता है तब मजदूरों को 24 घंटे भेड़ों की ओर ध्यान देना पड़ता है. उन्हें सर्दियों के लिए कपड़े, बरसाती कपड़े, जूते आदि भी प्रदान नहीं किए जाते. उनके पास अपने आपको व भेड़ों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए कोई साधन नहीं हैं. यदि वे बीमार हो जाएं तो उन्हें दवा-दारू की कोई सुविधाएं नहीं हैं बल्कि भेडों के लिए दी गई दवाइयों में से ही वे अपना इलाज करते हैं. यदि भेड़ें मर जाएं जिसमें मजदूर की कोई गलती नहीं तो मजदूर को अपने वेतन में से उसकी कीमत चुकानी पड़ती है.

जब मजदूर को मैदान में लगभग 300 स्थानों पर साल में से 9 महीने काम करना पड़ता है तो उन्हें अनिश्चित-समय के लिए काम करना पड़ता है. अधिकतर मजदूर को अपने परिवारों से अलग रहना पड़ता है. उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती और यदि धार्मिक उत्सव पर कोई छुट्टी ले ले तो काम से गैर हाजिरी के कारण चार्ज-शीट दे दी जाती है.

इन मजदूरों के लिए मकान की सुविधाएं बिलकुल असंतोषजनक है. रहन सहन की हालत बहुत कठिन है. पदोन्नति की सुविधाएं हैं ही नहीं. एक चरागाह अपनी पूरी जिंदगी में चरागाह बना रहता है.

अधिकारियों की मर्जी पर आमतौर से ट्रेड यूनियन अधिकारों का दमन कर दिया जाता है. ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता को मुअत्तिल करना व निकालना एक आम बात हो गई है.

कानफ्रेंस में वक्ताओं ने मजदूरों के भयंकर हालात के बारे में बताया और इन्हें सुधारने के लिए फौरी कदम लेने की मांग की.

सीटू सचिव एस. के. पंधे ने कानफ्रेंस का उद्घाटन किया. अब्दुल रशीद खान एक बार फिर एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए.

एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल शीप हस्बेंड्री विभाग के डायरेक्टर से मिला और राज्य के भेड़ व ऊन मजदूरों की शिकायतों को हल करने के लिए फौरी कदम लेने की मांग की. □

दिल्ली सीटू द्वारा मूल्य वृद्धि, पुलिसदमन के खिलाफ प्रदर्शन

सीटू की दिल्ली राज्य समिति ने 13 नवंबर को उपराज्यपाल के निवास के सामने विशाल प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का उद्देश्य आम जरूरियात की वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि, पुलिस दमन व राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश (एन एस ओ) को जारी किए जाने का विरोध करना था. मजदूरों की अन्य मांगें थी कि दिल्ली में न्यूनतम वेतन 500 रुपये प्रति माह निश्चित किया जाए, थोक व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले तथा आम जरूरत की चीजों को सस्ते दामों पर मुहैय्या किया जाए. सुभाष पार्क से राजनिवास तक 2 हजार मजदूरों ने जुलूस निकाला जो बाद में जाकर आम सभा में बदल गया.

यह प्रदर्शन करने का निश्चय 31 अगस्त को दिल्ली सीटू द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में किया गया था. सम्मेलन के निर्णय के अनुसार हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. गेट मीटिगें व सभाएं आयोजित की गईं व मजदूरों की मांगों को उजागर करते हुए 20 हजार पर्चे प्रकाशित किए गए.

मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल के रूप में सीटू की दिल्ली राज्य समिति के सचिव जोगेंद्र शर्मा, संसद सदस्य अजय विश्वास व साथी नारायण उपराज्यपाल से मिले व 50 हजार मजदूरों के हस्ताक्षर से युक्त एक मांगपत्र उन्हें दिया.

आम सभा की अध्यक्षता पूरनचंद ने की. जोगेंद्र शर्मा ने उपराज्यपाल से हुई बातचीत का ब्यौरा प्रस्तुत किया व मजदूरों व ट्रेड यूनियनों से अपील की कि मजदूर वर्ग व आम जनता की फौरी मांगों के समर्थन में एकजुट आंदोलन तैयार करें. अजय विश्वास ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की व बताया कि इस का प्रयोग ट्रेड यूनियन आंदोलनों को कुचलने के लिए किया जाएगा. उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में हर गांव व हर मुहल्ले में उचित दर की दुकानें हैं जहां से आम आदमी को जरूरत की चीजे सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाती है. अंत में उन्होंने मजदूर वर्ग व आम जनता से आह्वान किया कि वे केंद्रीय सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करें व अपनी मांगों के समर्थन में मजबूत आंदोलन तैयार करें. □

एटक का 31 वां अधिवेशन

विशाखापट्टनम में 26-31 अक्टूबर को एटक का 31 वां अधिवेशन संपन्न हुआ. लगभग तीन हजार प्रतिनिधियों ने कानफ्रेंस में भाग लिया.

सीटू की आंध्र प्रदेश की कमेटी के महासचिव एन प्रसाद राव ने सीटू की ओर से कानफ्रेंस में भाग लिया और प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया. □

किम डाए जुंग को मौत की सजा की भर्त्सना

दक्षिण कोरिया के एक सुविख्यात जनवादी नेता किम डाए जुंग को चोन दु वान की फासीवादी सैनिक सरकार द्वारा मौत की सजा दी गई है. सैनिक ट्रिब्यूनल ने सजा सुनाने के लिए केवल छः मिनट ही लिए. सर्वोच्य न्यायालय ने भी इस आदेश की पुष्टि की है. अब यह सजा चोन दु वान पर ही निर्भर है. किम के साथ अन्य 23 लोगों को भी दोषी घोषित कराकर दो से बीस साल तक की सजा दी गई है.

किम ने इससे पहले के तानाशाह पाक जुंग हाइ के खिलाफ 1971 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था. पाक ने न केवल चुनाव में ही चालबाजी की बल्कि किम के विरुद्ध हर संभव साजिश करने का प्रयत्न किया. किम द्वारा जपान भाग जाने पर पाक तानाशाही ने अगस्त 1973 में टोकियो में दिन दहाड़े उसका अपहरण कराके उसे सिओल वापस लाया गया. जब जापान व अन्य जगहों पर शोर शराबा किया जाने लगा तब सैनिक तानाशाही ने किम को कोई हानि न पहुंचाने का आश्वासन दिया.

किम डाए जुंग का कसूर केवल इतना ही था कि उन्होंने दक्षिण कोरिया में जनवाद तथा पितृभूमि में शांतिपूर्ण एकता कायम रखने के लिए लगातार संघर्ष किया. सैनिक शासन, जिसमें जनवाद का निमोनिशान नहीं होता, ने किम को पिछली मई में गिरफ्तार किया था. उनको क्वांग्जु विद्रोह से पहले गिरफ्तार किया गया था. फिर भी उनपर 'विद्रोह षड़यंत्र' करने का आरोप थोपा गया. उनपर 'कम्युनिस्ट विरोधी कानून' 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' और 'मार्शल ला' के उल्लंघन के भी आरोप थोपे गये. ये अरोप ऐसे थे कि सत्ताधारियों द्वारा मौत की सजा सुनाई जा सके.

किम पर मुकदमा और मौत की सजा क्वांग्जु में जनवाद की मांग करने वाले हजारों विद्यार्थियों और अन्यों के कत्लेआम उस साजिश का अगला कदम है जिससे फासिस्ट सत्ताधारी सुचारु रूप से राजनैतिक मतभेदियों का दमन कर सके ताकि सत्ता को सुरक्षित रखा जा सके.

किम व अन्यों पर कैद में दबाव डाला व अत्याचार किया जाता है. किम ने सैनिक ट्रिब्यूनल को, तहखाने की कोठी में बिताए गए साठ दिनों का अनुभव शब्दहीन बताया. किम ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों और लांछनों को अस्वीकार किया और इन्हें सफेद झूठ व साजिशों से भरा हुआ बताया.

सी. आइ. टी. यू., दक्षिण कोरिया की सैनिक फासिस्ट सत्ता और किम डाए जुंग की मौत की सजा की भर्त्सना करती है. सीटू, किम व उनके सभी साथियों को रिहा करने की मांग करती है. सीटू जनवादी लोगों, और मेहनतकश जनता, विद्यार्थियों. पत्रकारों और हजारों अन्य लोगों को जिन्हें दक्षिण कोरिया में गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया है, कि रिहाई की भी मांग करती है. सीटू, दक्षिण कोरिया की जनता को तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने और जनवाद तथा जनवादी अधिकारों को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले प्रत्यनों का पूरा समर्थन करने का आश्वासन देती है.

सीटू, साम्राज्यवादी अमरीका द्वारा दक्षिण कोरिया के फासिस्ट सत्ताधारियों की सहायता करने की कटु आलोचना करती है और साम्राज्यवादी अमेरिका से, शांति, जनवाद और कोरिया के एकीकरण के लिए संघर्षरत जनता के खिलाफ घृणित क्रूर गतिविधियां बंद करने की मांग करती है. □

डब्ल्यू. एफ. टी. यू. की 35वीं वर्षगांठ

डब्ल्यू. एफ. टी. यू. की स्थापना की 35 वीं वर्षगांठ के अवसर पर डब्ल्यू एफ टी यू का 31 वां विशेष अधिवेशन 1 से 5 अक्तूबर को मास्को में संपन्न हुआ. 3 अक्तूबर को एक विशेष समारोह सम्मेलन आयोजित किया गया. डब्ल्यू एफ टी यू के आमंत्रण पर सी आई टी यू ने सीटू को कर्नाटक स्टेट कनेटी के अध्यक्ष सूर्यनारायण राव को जनरल कांउसिल मीटिंग में भाग लेने के लिए नामांकित किया. जनरल कांउसिल में अपने भाषण के दौरान, राव ने डब्ल्यू एफ टी यू द्वारा 35 सालों में निभाई गई भूमिका की सराहना की और भारत के मौजूदा हालात का विवरण दिया.

डब्ल्यू एफ टी यू के उपमहासचिव इब्राहिम जकारिया ने जनरल काउंसिल में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हालात और मजदूर वर्ग की भूमिका पर विस्तारपूर्वक व्याख्यान दिया. मीटिंग में कांस्टिट्यूशन कमीशन और हिसाब किताब पर आडिटर की रिपोर्ट द्वारा तैयार किए गए डब्ल्यू एफ टी यू के संविधान में सशोधन के मसविदे पर भी विचार किया गया.

जनरल काउंसिल ने 1980 के लिए काम और बजट पर योजना को भी स्वीकार किया.

सी आई टी यू के आलावा अनेक संगठनों को भी जनरल काउंसिल की मीटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था.

इससे पहले, सूर्यनारायण राव ने 23-27 सितंबर को सोफिया, बुल्गारिया, में वर्ल्ड पार्लियामेंट आफ पीपल्ज फार पीस में भी भाग लिया था. 26 सितंबर को वर्ल्ड पार्लियामेंट में भाग लेने वाले ट्रेड यूनियन नेताओं की एक राउंड टेबल बैठक हुई जिसमें 61 देशों से 159 प्रतिनिधिओं ने भाग लिया. इस राउंड टेबल बैठक में निरस्त्रीकरण के समाजिक व आर्थिक पहलू पर डब्ल्यू एफ टी यू की एक विशेष बैठक जल्दी ही बुलाने के सुझाव को समर्थन दिया गया.

पी. राममूर्ति ने जो भारत से वर्ल्ड पार्लियामेंट के लिए प्रतिनिधि थे, ट्रेड यूनियन नेताओं की राउंड टेबल बैठक में भाग लिया. □

दामोदर वैली कार्पोरेशन की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियां

दामोदर वैली कार्पोरेशन में नये चेयरमैन द्वारा अगस्त में अपना पद संभालने के तुरंत बाद प्रबंधकों का रवैया, डीवीसी के मजदूरों और खासतौर से डीवीसी श्रमिक यूनियन के मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों के खिलाफ हो गया है. प्रबंधकों ने मजदूर-वर्ग विरोधी आदेश जारी कराके झगड़े का रुख अपना लिया है.

डीवीसी के प्रबंधक, विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर पंजीकृत यूनियनों से चाहे वे मान्यता प्राप्त हो या न हो, 3 नवंबर 1969 के स्टैंडिंग आर्डर के जोर पर बातचीत करते थे. लेकिन डीवीसी के इस चेयरमैन ने अपनी मर्जी से 21 अगस्त को एक सर्कुलर जारी करके पंजीकृत यूनियनों के साथ विचार-विमर्श पर और यूनियनों के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने पर पाबंदी लगा दी. इस चेयरमैन, पी.सी. लूथर, ने 4 अगस्त को अपना पद संभाला था.

डीवीसी श्रमिक यूनियन ने अपना मांग-पत्र 2 जुलाई को पेश किया था. मांग पत्र में निम्नलिखित मांगें हैं : डीवीसी श्रमिक यूनियन को मान्यता प्रदान करना, पिछले समझौते के अनुसार वेतनमानों में सुधार करना जो अप्रैल 1976 से देय हैं, बोनस, प्रोत्साहन बोनस, आवश्यक वस्तुओं का वितरण. उचित दर पर उचित-दर दुकानों से करना, डीवीसी में बिजली संकट को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाना, भ्रष्टाचार को दूर करना, अवकाश, पदोन्नति, आदि. बाद में यूनियन ने 24 जुलाई को और 28 अगस्त को दो स्मरण-पत्र पेश किए.

यूनियन द्वारा इस मसले को हल करने के लिए किए गए लगातार प्रयत्न असफल रहे और कोई उपाय न होने से यूनियन ने 8 सितंबर को दो दिन की हड़ताल का नोटिस दे दिया. इस बीच 27 28 अगस्त को दो दिन का धरना आयोजित किया गया. डीवीसी प्रबंधकों ने एक सर्कुलर द्वारा इन दिनों के लिए दी गई छुट्टी रद्द कर दी. 23 और 24 सितंबर को वैली में की गई दो दिन की हड़ताल सफल रही. हालांकि सरकार और प्रबंधकों ने इस हड़ताल को गैरकानूनी नहीं घोषित किया लेकिन 22 सितंबर को एक सर्कुलर कर्मचारियों को देकर इसे गैरकानूनी बताया गया. इस हड़ताल के दौरान का वेतन काट लिया गया.

प्रबंधकों ने हड़ताल के बाद सात ट्रेड यूनियनों को झूठे इल्जाम लगाकर मुअत्तिल कर दिया. 3 अक्टूबर को प्रबंधकों ने विघटन कार्य करने की शंका मात्र से ही बिना कोई कारण बताए किसी को भी मुअत्तिल करने का और किसी पर भी विघटन कार्य करने का सबूत प्राप्त होने पर नौकरी से निकालने का सर्कुलर जारी किया.

27 नवंबर को यूनियन प्रतिनिधि ऊर्जा मंत्री से मिले जिन्होंने मांगों को सहानुभूतिपूर्ण विचारने का आश्वासन दिया. यूनियन कार्पोरेशन की इंटक के अलावा जो प्रबंधकों के साथ है अन्य यूनियनों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए दिसंबर में मतदान करेगी. यदि इस बीच कोई हल नहीं निकला तो मजदूरों को जनवरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख अपनाना पड़ेगा. □

कर्नाटक सीटू काउंसिल की बैठक

सीटू की कर्नाटक राज्य काउंसिल की बैठक 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच उड्डुपी में हुई. बैठक के पहले दिन एस. सूर्यनारायण राव ने इसकी अध्यक्षता की तथा बाद में एन. के. उपाध्याय इसकी कार्यवाही चलाते रहे. राज्य काउंसिल के महासचिव सी. नजुंदप्पा ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बहस के बाद स्वीकार कर लिया गया.

काउंसिल ने राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा मजदूर समस्याओं के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार रखने पर दुःख प्रकट किया व सभी संबद्ध यूनियनों को आह्वान किया कि वे 21 नवंबर को श्रम विभाग के सभी कार्यालयों पर धरने आयोजित करें कि यह विभाग श्रम कल्याण प्रावधान, समझौतों तथा औद्योगिक विवादों व शिकायतों को शीघ्र निपटाए व क्रियान्वित करे.

काउंसिल ने मजदूरों से कहा कि वे छः पार्टी सम्मेलन के निर्णयों को मजदूरों में प्रचारित करें. उसने आगे कहा कि किसानों व खेतिहर मजदूरों की मांगों व आंदोलनों को भी मजदूर वर्ग को पूरा समर्थन देना चाहिए.

काउंसिल ने अनेक प्रस्तावों द्वारा मजदूर वर्ग के विभिन्न हिस्सों के संघर्षों का समर्थन किया. कई अन्य प्रस्ताव मजदूर वर्ग व आम जनता की फौरी समस्याओं पर पास किए गए.

एक अलग प्रस्ताव में बैठक ने अपनी संबद्ध यूनियनों से कहा कि वे होनावर तालुक में बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करें. एक अन्य प्रस्ताव द्वारा काउंसिल ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश की निंदा की तथा समाचारपत्र कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन किया. सीटू का अगला राज्य सम्मेलन फरवरी 1981 में हरिहर में होगा.

राज्य काउंसिल सदस्यों के लिए ट्रेड यूनियन स्कूल का भी आयोजन किया गया. बैठक के समाप्त होने के बाद 26 अक्टूबर को एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त सी नंजुंदप्पा तथा संसद सदस्य एम. रमणी राय ने भी भाषण दिए. इस सभा में काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णयों को विस्तार से समझाया गया. □

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छः रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

फोन : 384071

ई. एस. आई. एस. डाक्टरों का पहला अखिल भारतीय कनवेंशन

एंप्लाईज स्टेट इंशोरेंस स्कीम के डाक्टरों का प्रथम अखिल भारतीय कनवेंशन 23 नवंबर को बंबई में संपन्न हुआ. लगभग 1000 ई. एस. आई. एस. डाक्टर कनवेंशन में शामिल हुए.

कनवेंशन की तैयारियों के लिए डा. जे. सी. पटेल की अध्यक्षता में और डा. आर. जे. ओझा और जे. जी. जोगीदासानी सहित एक स्वागत समिति गठित की गई थी.

कनवेंशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल एयर चीफ मार्शल ओ. पी. मेहरा (रिटायर्ड) ने किया जिन्होंने अपने भाषण में, डाक्टरों द्वारा लड़ाई का रूख अपनाने की आलोचना की. उन्होंने आगे कहा कि डाक्टरों को अपनी मांगें उठाने की बजाए लोगों की सेवा करनी चाहिए. उनके इस कथन का तात्पर्य हाल ही में महाराष्ट्र में ई. एस. आई. एस. डाक्टरों की हुई हड़ताल की ओर इशारा करना था. यह कहकर कि इन डाक्टरों के पास वातानुकूलित डिस्पेंसरियां हैं गवर्नर ने ई. एस. आई. एस. डाक्टरों की कार्यदशा के बारे में अपनी कम जानकारी होने का सबूत दिया.

डा. ए. जे. शेलट ने अपने भाषण में स्कीम को चलाने के लिए ई. एस. आई. एस. डाक्टरों के विचारों का ब्यौरा दिया और इस स्कीम में और डाक्टरों की आवश्यकता पर बल दिया.

ई. एस. आई. एस. कार्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल ने स्वागत समिति द्वारा इस अवसर पर प्रकाशित सोवेनियर का अनुमोदन किया.

ई. एस. आई. स्कीम की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए दोपहर को एक गोष्ठी आयोजित की गई. इस गोष्ठी की अध्यक्षता जस्टिस सी. एस. धर्माधिकारी ने की. सीटू सचिव एम. के. पंधे ने गोष्ठी में भाग लेते हुए ई. एस. आई. एस. के नौकरशाही रवैये, जो स्कीम में दुर्व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, की आलोचना की और सुझाव दिया कि ई. एस. आई. कर्मचारियों व ई. एस. आई. एस डाक्टरों की ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए. उन्होंने बताया कि ई. एस. आई. एस. कर्मचारियों और डाक्टरों को ई. एस. आई. कार्पोरेशन में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया जबकि ट्रेड यूनियनों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है. फिर उन्होंने डाक्टरों की मांगों का समर्थन किया और उनकी हाल में हुई हड़ताल को पूरी तरह जायज बताया. सीटू की ओर से उन्होंने ई. एस. आई. डाक्टरों की अखिल भारतीय फेडरेशन की स्थापना का स्वागत किया है और आशा प्रकट की है कि ई. एस. आई. स्कीम की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए वे एक प्रमुख भूमिका निभायेंगे.

इंटक, एटक और बी. एम. एस. के प्रतिनिधियों ने भी इस नए संगठन का स्वागत किया. □

एल. आई. सी. कर्मचारियों को 15 प्रतिशत बोनस का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को सुनाए गए अपने फैसले में कहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन में भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच विवाद आदि हल करने के लिए एक विशेष कानून है, लागू होता है और इस कानून के तहत 1974 में हुए समझौते के आधार पर एल. आई. सी. कर्मचारी बोनस के अधिकारी हैं.

कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने दो से एक के बहुमत से कार्पोरेशन की अपील को खारिज कर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से अपना सहमति व्यक्त की जिसमें समझौते के तहत बोनस के अधिकार को स्वीकारा गया था. कोर्ट ने एल. आई. सी. को यह निर्देश दिया कि वह समझौते को लागू करे और कर्मचारियों को 15 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से बोनस प्रदान करे.

न्यायाधीश वी. आर. कृष्णा अय्यर और न्यायाधीश आर. एस. पाठक द्वारा दिए गए बहुमती फैसले ने कार्पोरेशन के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर रिट पेटीशन को भी अनुमति दी. यह पेटीशन बाद में सुप्रीम कोर्ट भेज दी गई थी क्योंकि इसमें उठाए गए प्रश्न और अपील मौजूदा मामले के समान ही थे. □

पश्चिम बंगाल की जनता का सीटू द्वारा अभिनन्दन

सीटू के अध्यक्ष बी टी. रणदिवे ने 28 नवंवर को निम्नलिखित बयान जारी किया :

सेंजर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस आसमान छूति मंहगाई तथा केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश थोपने तथा पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव बरते जाने के खिलाफ 27 नवंबर को शानदार बंगाल बंद आयोजित करने के लिए बंगाल की जनता का हार्दिक अभिनंदन करती है. इस शानदार बंद ने श्रीमती गांधी की सरकार द्वारा अपनायी जा रही जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता की पुरजोर आवाज एक बार फिर बुलंद की है.

सीटू आशा करती है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इन मसलों पर फौरी कार्यवाही करेगी.

बंद को सफल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सीटू, अन्य ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा निभायी गयी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सीटू उनका अभिनंदन करती है.

बंगाल चटकल मजदूर यूनियन का वार्षिक सम्मेलन

बंगाल चटकल मजदूर यूनियन का बयालीसवां वार्षिक सम्मेलन गत 8 और 9 नवंबर को कलकत्ता के पास टीटागढ़ स्थित रवीन्द्र भवन में हुआ. सम्मेलन का उद्घाटन वामपंथी मोर्चा कमेटी के अध्यक्ष, प्रमोद दास गुप्त ने किया और निरेन घोष सम्मेलन के अध्यक्ष रहे. सम्मेलन में बंगाल की 62 जूट मिलों के 1,08,000 मजदूरों के लगभग एक हजार प्रतिनिधियों, 196 प्रेक्षकों तथा राज्य से बाहर की जूट मिलों के 23 बिरादराना प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ई. एम. एस. नम्बूदिरीपाद, सीटू के अध्यक्ष, बी. टी. रणदिवे, किसानसभा के महासचिव चातुनी मास्टर, संसद सदस्य समर मुखर्जी सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती, जूट मजदूरों की अखिल भारतीय फेडरेशन की अध्यक्ष, लक्ष्मी सहगल, सीटू की आसाम राज्य कमेटी के महासचिव, अमल घोष दस्तिदार, लिप्टन मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सोबर्न मुखर्जी, सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के महासचिव मनोरंजन राय तथा मरकंटाइल फेडरेशन और अन्य जन संगठनों ने सम्मेलन को अपने शुभकामना संदेश भेजे.

राज्य श्रम मंत्री, कृष्णपद घोष, कानपुर की जे. के. जूट मिल वर्कर्स यूनियन के सचिव दौलतराम, पश्चिम बंगाल फेडरेशन आफ मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन के महासचिव शांति घटक, 12 जुलाई कमेटी के सहसंयोजक अरविन्द घोष और ए. आई. आई. ई. ए. की शांति भटाचार्य ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन में भाषण दिए. इस अवसर पर सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल, राज्य सरकार कर्मचारी यूनियनों की समन्वय समिति के बावातोश राय, आरती दास गुप्ता, विप्लव दास गुप्ता तथा अन्य नेता और बिरादराना प्रतिनिधि और अतिथि भी उपस्थित रहे.

शहीदों पर शोक प्रस्ताव पास करने के बाद राज्य परिवहन मंत्री और स्वागत कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अमीन ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया. सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रमोद दास गुप्ता ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया साथ ही उन्होंने बंगाल चटकल मजदूर यूनियन को मुबारकबाद दी कि उन्होंने जूट मिलों में विघटनकारी ताकतों से लड़कर ट्रेड यूनियन एकता बनाने की सफल कोशिश की. बी.टी. रणदिवे ने अपने संदेश में आशा प्रकट की कि सीटू की सबसे बड़ी यूनियन होने के नाते बी. सी. एम. यू. सीटू के उद्देश्य को और अधिक सफल बनाएगी तथा अन्य मजदूरों के लिए प्रेरणा बनेगी.

महासचिव की रिपोर्ट पेश करते हुए कमल सरकार ने तानाशाही ताकतों के नए हमलों से रक्षा के लिए अपने संघर्ष को अधिक व्यापक और दृढ़ बनाने पर जोर दिया. उन्होंने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे मजदूरों की राजनैतिक जागरूकता का रुझान समाजवादी जागरूकता की ओर करें और यूनियन को उनके आर्थिक संघर्ष के लिए मजबूत बनाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने संघर्ष को मजबूत बनाना जरूरी है. रिपोर्ट और लेखा सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.

सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास किए गए वे हैं—21 सूत्रीय समझौते को शीघ्र लागू करना, रायगढ़ और आंध्र प्रदेश के जूट मजदूरों का बोनस आंदोलन, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश की वापसी, कीमत वृद्धि आसाम और अन्य राज्यों में विघटनकारी ताकतों का षड़यंत्र, साम्प्रदायिकता और क्षेत्रवाद का विरोध, आसाम और कानपुर में छंटनी किए गए जूट मजदूरों की दोबारा नियुक्ति, बंद मिलों को दोबारा खोलना, आदि.

सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक 170 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारी कमेटी चुनी गई. साथ ही सभी पदाधिकारी भी चुने गए जिनमें निरेन घोष अध्यक्ष और कमल सरकार महासचिव चुने गये. सम्मेलन में यह आह्वान किया गया कि यूनियन की सदस्यता के अगले वर्ष तक डेढ़ लाख कर दिया जाए और यूनियन राशि 2 लाख रुपये की जाए.

राज्य मुख्य मंत्री और सीटू के उपाध्यक्ष, ज्योति बसु ने खुले अधिवेशन के रूप में हुई विशाल आम सभा में 9 नवम्बर को भाषण दिया. केलविन मैदान में हुई रैली में 30,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया तथा इसकी अध्यक्षता नीरेन घोष ने की. रैली में बोलते हुए ज्योति बसु ने दृढ़तापूर्वक यह घोषणा की कि पश्चिम बंगाल के निवासियों ने तानाशाही ताकतों के सामने कभी घुटने नहीं टेके हैं और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे. उन्होंने मजदूरों से अपील की कि अपनी एकता को मजबूत बनाकर तानाशाही और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ें. उन्होंने कहा एकता और संघर्ष को अपना हथियार बनाकर मजदूर वर्ग कोई भी लड़ाई जीत सकता है चाहे उसका शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो. उन्होंने सभी से अपील कि लोगों में राजनैतिक समझ पैदा करें और एकता के दायरों को अधिक से अधिक बढ़ाएं जिससे कि मजदूर वर्ग अपने मुख्य उद्देश्य देश में वैज्ञानिक समाजवाद को जल्द से जल्द लाने में सफल हो सके.

कृष्णपद घोष, निरेन घोष. मोहम्मद अमीन, कमल सरकार और मोहम्मद इस्माइल ने भी रैली में भाषण दिये. □

कोयला खदानों में मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं का

चेहरा

बेनकाब

कीमत : 40 पैसे

लिखें :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियनें इसे नोट करें

ग्रेच्युटी सेवानिवृति के बाद मिलने वाला एक लाभ है जो हर कर्मचारी नौकरी करने के बाद अर्जित करता है. यह मालिकों की ओर से दी जाने वाली कोई खैरात या दानपुण्य नहीं है बल्कि मजदूरों का एक अधिकार है जो उसे अवश्य मिलना चाहिए. इस अधिकार को हाई कोर्टों व सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में स्वीकार किया है हालांकि इस बारे में अभी कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है. किंतु अदालतों के स्पष्ट निर्णयों के बावजूद अक्सर मालिक लोग अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने से कतराते हैं और यदि देते भी हैं तो कम रकम देते हैं. पेमेंट आफ ग्रैच्युटी एक्ट 1972 में कर्मचारियों के ग्रैच्युटी के अधिकार की स्पष्ट व्याख्या के बावजूद मालिकों का यह बर्ताव बरकरार है.

उदाहरण के लिए, महीने के आधार पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 15 दिन का वेतन इस आधार पर तय किया जाता है कि उनका मासिक वेतन 30 दिन का वेतन है. औद्योगिक कानूनों के अनुसार मासिक वेतन 26 दिनों के आधार पर दिया जाता है न कि 30 दिनों के आधार पर. इस प्रकार आधे महीने का वेतन 15 दिन के बजाय केवल 13 दिन का रह जाता है. नीचे दिए गए समीकरण से कर्मचारियों के साथ किया जा रहा अन्याय स्पष्ट हो जाएगा—

मासिक वेतन—260 रु.

मालिकों के अनुसार

15 दिनों का वेतन=

$$\frac{260 \text{ रु.}}{30 \text{ दिन}} \times 15 = 130 \text{ रु.}$$

सही स्थिति

15 दिन का वेतन=

$$\frac{260 \text{ रु.}}{26 \text{ दिन}} \times 15 = 150 \text{ रु.}$$

23 जुलाई, 1980 को दिए अपने निर्णय में न्यायमूर्ति ए. सी. गुप्ता व एन. एल. उंटवालिया (संदर्भ सी. ए. नंबर 1088/76 श्री दिग्विजय वूलन मिल्ज लिमिटेड बनाम महेंद्र प्रताप बुछ तथा सी. ए. नं० 490/77 द महारानी मिल्ज लिमिटेड बनाम गोपालदास लाड़ाबाई कक्कड़) ने इस बारे में मजदूरों के पक्ष में निर्णय दिया है और यह स्पष्ट रूप से कहा है कि मासिक वेतन को केवल 26 दिनों का वेतन माना जाना चाहिए तथा मास के किसी भी अंश की गणना

श्रम कानून

इस आधार पर ही होनी चाहिए. अदालत का निर्णय न्यायमूर्ति गुप्ता ने पढ़कर सुनाया व इसे नीचे दिया जा रहा है—

इन दोनों अपीलों में विचार करने के लिए एक आम सवाल उठता है जो पेमैंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 (इसके बाद इसे 'एक्ट' कहा जाएगा) के सेक्शन 4(2) के तहत मासिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी के 15 दिन के वेतन की परिकलना के तरीके से संबंधित है. सेक्शन 4(2) का प्रावधान है :

"सेवा के हर पूर्ण वर्ष के या उसके किसी भाग के लिए जो छः महीनों से ज्यादा हो; मालिक संबंधित कर्मचारी के अंतिम वेतन के दर के आधार पर पंद्रह दिन के वेतन के हिसाब से एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी देगा.

बशर्ते कि पीसरेट पर काम करने वाले कर्मचारी के मामले में दैनिक वेतन कर्मचारी की नौकरी खत्म होने के पहले तीन महीनों के कुल वेतन के औसत से तय किया जाएगा, और, इस कार्य के लिए ओवर टाइम काम के लिए दिया गया वेतन हिसाब में नहीं जोड़ा जाएगा.

और बशर्ते कि एक मौसमी संस्थान में कार्यरत एक कर्मचारी के मामले में, मालिक सात दिन का वेतन प्रति मौसम के हिसाब से ग्रेच्युटी देगा."

एक्ट के सेक्शन 2(5) में "वेतन" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है.

"वेतन" का मतलब है वह सारी राशि जो एक कर्मचारी ने अपनी सेवा-शर्तों के मुताबिक ड्यूटी पर या छुट्टी पर अर्जित की है और जो नकद अदा कर दी गई है या की जानी है और इसमें महंगाई भत्ता शामिल है लेकिन इसमें कोई बोनस, कमीशन, मकान किराया भत्ता, ओवर टाइम वेतन और अन्य भत्ते शामिल नहीं है."

2. यह जरूरी नहीं कि वास्तविकताओं को अधिक विस्तार से कहा जाए. इन दोनों मामलों में प्रतिपक्षी एक मासिक वेतन कर्मचारी या और अपील करने वाला, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक मालिक था. 1976 की सिविल अपील 1088 (श्री दिग्विजय वुलन मिल्स लिमिटेड, अपील कर्त्ता एवं श्री महेंद्र प्रतापराय बूछ, प्रतिपक्षी) प्रतिपक्षी 19 साल की सेवा पूरी करने के बाद कार्यमुक्ति की उम्र होने पर कर्मचारी नहीं रहा. अपीलकर्त्ता कंपनी ने उसको देय ग्रेच्युटी की राशि उस द्वारा प्राप्त अंतिम मासिक वेतन के आधे के समान 15 दिन के वेतन के आधार पर तय की. प्रतिपक्षी ने ग्रेच्युटी के लिए अतिरिक्त राशि की इस आधार पर मांग की कि उसके मासिक वेतन को 26 कार्य के दिनों के लिए माना जाए, न कि 30 दिनों के एक महीने के लिए उसके वेतन का बस आधा लेकर या उसके मासिक वेतन को 30 से भाग कर दैनिक वेतन तय करके. एक्ट के तहत कंट्रोलिंग आथोरिटी ने प्रतिपक्षी की बात को मान लिया और उसके फैसले को अपेलेट आथोरिटी की सहमति मिल गयी. अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट के एक डिविजन बैंच ने अपीलकर्त्ता कंपनी की पेटीशन जो उसने संविधान के आर्टिकल 227 के तहत आथोरिटीज के एक्ट के तहत फैसले को चुनौती देते हुए

अपील की थी, को खारिज कर दिया. विद्वान जजों ने, लेकिन, अपने आदेश के समर्थन में कारण दिए. विशेष अनुमति से अपील हमारे समक्ष है.

3. 1977 की सिविल अपील 480 में (दि महाराना मिल्ज लिमिटेड—अपीलकर्त्ता एवं श्री गोपालदास लघाभाई कक्कड—प्रतिपक्षी) प्रतिपक्षी ने 22 साल से कुछ ज्यादा की सेवा के बाद अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया. अपीलकर्त्ता कंपनी ने उसके मासिक वेतन को 30 से भाग कर दैनिक वेतन निकाल कर और इस आधार पर 15 दिन का वेतन तय करके उसे ग्रेच्युटी की अदायगी कर दी. यहां भी प्रतिपक्ष ने ग्रेच्युटी के तौर पर अतिरिक्त राशि की मांग की और उसके इस दावे का आधार भी वही था जो दूसरी अपील में किया गया है. कंट्रोलिंग आथोरिटी ने प्रतिपक्षी की बात को मान लिया और अपेलेट आथोरिटी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को मध्येनजर रखते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दी. इस मामले में भी गुजरात हाई कोर्ट ने एक्ट के तहत आथोरिटीज के फैसले को चुनौती देते हुए की गई अपीलकर्त्ता-कंपनी की पेटीशन खारिज कर दी. लेकिन यह अपील हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के कारण यहां आई है.

4. दिग्विजय वूलन मिल्स के मामले में में पेटीशन को खारिज करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के डिविजन बैंच ने इस प्रकार कहा है :

"सेवा के हर पूर्ण वर्ष के लिए कर्मचारी को ग्रेच्युटी दी जाती है और मापदंड का केवल यह प्रावधान है कि कर्मचारी के अंतिम वेतन दर को ही मध्येनजर रखना है और इस आधार पर सेवा के हर वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर ग्रेच्युटी तय की जाए. किसी भी फैक्ट्री में यह सब जानते हैं कि कर्मचारी महीने के सभी 30 दिन काम नहीं करता और न ही उसे करने दिया जा सकता है. उसे साल में 52 रविवारों के दिन बातनख्वाह छुट्टी मिलती है और इसलिए, मूल वेतन और महंगाई भत्ता हमेशा इसी आर्थिक वास्तविकता को मध्येनजर रखते हुए तय किया जाता है···एक मजदूर एक महीने में सभी 30 दिन काम पर रहकर नहीं बल्कि केवल 26 दिन ही काम पर रहकर पूरे महीने का अपना वेतन प्राप्त करता है. अन्य अतिरिक्त छुट्टियां 26 कार्य-दिनों में मामूली फर्क डाल सकती हैं, लेकिन देश में सभी वेतन बोर्डों और वेतन तय करने वाली आथोरिटीज या ट्रिब्यूनलों ने हमेशा इस 26 कार्य-दिनों के तरीके द्वारा वेतन को तय करने का नमूना अपनाया है."

5. उपरोक्त उक्ति में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे कानूनी और जायज लगते हैं. आम तौर पर एक महीना 30 दिनों का ही समझा जाता है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट द्वारा अपनाया गया 26 दिन के लिए काम करने वाले कर्मचारी को एक्ट के तहत देय ग्रेच्युटी तय करने का तरीका अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता. यह विचारना नहीं है कि कोई दूसरा विचार संभव है. हाई कोर्ट ने हमारे समक्ष दोनों अपीलों में अपीलकर्त्ता की पेटीशन खारिज की और एक्ट के तहत आथोरिटीज के फैसले को उचित ठहराया. हम हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमें यह लगता है है कि आथोरिटीज के विचार किसी भी तरह नाजायज या अस्वाभाविक नहीं हैं. संयोगवश, 26 कार्य-दिन के वेतन को मासिक वेतन मानना कोई नयी बात या न जानी पहचानी बात नहीं है. हम यहां दिल्ली क्लाथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड एवं कर्मचारीगण (ए· आई. आर. 1970 एस. सी. 919) मामले में इस कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से एक भाग का उल्लेख करते हैं जिसने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, दिल्ली द्वारा किए गए एक फैसले से उत्पन्न कई अपीलों को हल कर दिया. इस फैसले में ग्रेच्युटी की अदायगी के संबंध में योजनाएं बनाई गई थीं. पद "मूल वेतन का औसत", जिसका योजनाओं में उल्लेख किया गया था, की इस कोर्ट ने इस प्रकार परिभाषा दी थी :

"श्री राममूर्ति मे यह भी अनुरोध किया था कि योजनाओं की धारा (4) में 'वेतन' की परिभाषा में पद 'मूल वेतन का औसत' से योजनाओं को लागू होने में दिक्कतें पैदा हो सकने की संभावना है. उन्होंने यह भी कहा था कि यदि एक महीने में एक कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन को कार्य-दिनों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है तो पद 'वेतन' का बनावटी मतलब होगा और खासतौर से जब कर्मचारी बूढ़ा है या अपंग है या काम करने में अक्षम है, तो उसे देय ग्रेच्युटी की राशि काफी कम हो जाएगी. हम यह नहीं सोचते हैं कि इस आशंका का कोई कारण है. पद 'मूल वेतन का औसत' से केवल यही मतलब हो सकता है कि एक कर्मचारी द्वारा एक महीने में अर्जित वेतन को उस द्वारा किए गए काम के दिनों की कुल संख्या से भाग करके 26 दिनों से गुना करना ताकि देय ग्रेच्युटी को तय करने के लिए उसका मासिक वेतन निकाला जा सके. मालिकान के वकील इस परिभाषा से सहमत हैं."

6. हमारे मतानुसार हम यह जरूरी नहीं समझते हैं कि इन दोनों अपीलों में उठाए गए मुद्दे पर कुछ हाई कोर्ट के फैसलों, जिनमें एक या दूसरे तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं और जिनके यहां उदाहरण दिए गए हैं, पर विचार किया जाए; और हमारे विचार में पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 4 (2) के तहत 15 दिन का वेतन तय करने के सवाल पर न्यूनतम वेतन कानून के कुछ प्रावधानों और अन्य कानूनों, जिन्हें दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं, के आधार पर फैसले यहां उपयुक्त नहीं हैं.

7. अपीलें खारिज की जाती हैं, 1977 की सिविल अपील 480 में खर्चे के साथ. 1976 की सिविल अपील 1088 में इस कोर्ट ने 22 सितंबर 1976 को स्पेशल लीव देते वक्त अपीलकर्त्ता को किसी भी हालत में अपील का खर्चा देने का निदेश दिया था—इसके मुताबिक प्रतिपक्षी महेंद्र प्रतापराय बूछ अपना खर्च पाने का अधिकारी है.

अप्रेंटिसों के भत्ते में बढ़ोतरी की सिफारिश

सेंट्रल अप्रटिसशिप काउंसिल की 15वीं बैठक 8 8 1980 को हुई थी जिसमें एक सब-कमेटी बनाई गई थी इस सब कमेटी को अप्रेंटिसशिप कानून के तहत अप्रेंटिसों के भत्ते में बढ़ोत्तरी के सवाल पर और उनको मकान किराया भत्ता देने के सवाल पर विचार करना था, क्योंकि मालिकान के संगठन इन सुझावों पर विचार-विमर्श करने के लिए कुछ समय चाहते थे.

सब कमेटी की पहली बैठक 21 नवंबर को हुई जिसने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि भत्ता इस प्रकार बढ़ा दिया जाए :

ट्रेड अप्रेंटिस

वर्ष	मौजूदा	सिफारिश
पहला	रु. 130/-प्र.मा.	रु. 230/-प्र.मा.
दूसरा	रु. 140/- "	रु. 280/- "
तीसरा	रु. 150/- "	रु. 300/- "
चौथा	रु. 200/- "	रु. 350/- "

यह बात नोट करने की है कि मालिकान के कई संगठन एक दम 50 से 70 रुपये से ज्यादा बढ़ोत्तरी करने के पक्ष में नहीं थे. लेकिन इस बारे में लगातार बातचीत के बाद मालिकान के प्रतिनिधियों को इस सिफारिश से सहमत करा लिया गया.

ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसों के संबंध में सब कमेटी ने काफी वृद्धि करके भत्ता देने की सिफारिश की और इस सिफारिश के तहत भत्ते की दरें सरकार के सुझावों से ज्यादा है जैसा कि नीचे दी गई सारिणी से साफ जाहिर है :

अप्रेंटिस वर्ग	मौजूदा	सरकारी प्रस्ताव	सिफारिश
ग्रेजुएट अप्रेंटिस	रु. 280/-प्र. मा.	550/-प्र. मा.	700/- प्र. मा.
सेंडविच कोर्स छात्र (डिग्री संस्थान)	रु. 180/-प्र. मा.	300/-प्र. मा.	600/- प्र. मा.
डिप्लोमा होल्डर	रु. 180/-प्र. मा.	400/-प्र. मा.	300/- प्र. मा.
सेंडविच कोर्स छात्र (डिप्लोमा संस्थान)	रु. 150/-प्र. मा.	300/-प्र. मा.	400/- प्र. मा.

सब कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त भत्ते न्यूनतम हैं. सभी संस्थानों में जहां भत्ता इससे ज्यादा दिया जाता है, इस फैसले के बाद बदला नहीं जाएगा.

सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने सब कमेटी की बैठक में भाग लिया और सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल का ध्यान इस ओर दिलाया कि काउंसिल की 15वीं बैठक में लिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए मकान किराया भत्ता देने के सवाल को जल्द ही हल किया जाए.

मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों का मांग सप्ताह

फेडरेशन आफ रिप्रेजेंटेटिव्ज एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवों ने 1 से 6 दिसंबर तक मांग-सप्ताह मनाया. उनकी मांगें निम्नलिखित हैं—बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण दवा-कीमतों में कमी, दवा उद्योग में त्रिपक्षीय कानफ्रेंस को तुरंत गठित करना जैसा कि भूतपूर्व श्रममंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था, फेडरेशन द्वारा दिए गए 27-सूत्री मांग-पत्र का हल निकालना, और मेडिकल तथा सेल्ज रिप्रेजेंटेटिवों के विक्टिमाइजेशन का खात्मा.

मांग सप्ताह बिल्ले पहनकर, जुलूस व प्रदर्शन आयोजित करके मनाया गया.

सीटू ने दो और श्रमिक शिक्षा शिविर आयोजित किए

नवंबर में सीटू ने दो श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए. पहला कार्यक्रम राजहरा, मध्य प्रदेश में 11 से 15 नवंबर को हुआ. विभिन्न उद्योगों से कुल मिलाकर 42 मजदूरों ने भाग लिया. नृसिंह चक्रवर्ती, एम. के. पंधे और पी के मित्रा ने इसे संबोधित किया. दूसरा स्कूल बिहार में मधुपुर में 15 से 20 नवंबर को हुआ जिसमें 45 मजदूरों ने भाग लिया. इसको चंडी प्रसाद और एम के पंधे ने संबोधित किया. इस स्कूल के अंत में एक जन सभा आयोजित की गई जिसे चंडी प्रसाद, जी. एस. विद्यार्थी और सिराजुद्दीन अहमद ने संबोधित किया.

एजेंटों और वार्षिक ग्राहकों से

एजेंटों से निवेदन है कि वे हर महीने बिल चुकता करें. ऐसा न करने से सीटू मजदूर के प्रबंध में हमें काफी दिक्कतें आती हैं. इसके अलावा मनीआर्डर भेजते समय उसके नीचे की स्लिप जो संदेश के लिए होती है, पर भी अपना पूरा पता लिखें.

वार्षिक ग्राहक छ : रुपये मनीआर्डर द्वारा भेजकर अपने वार्षिक चंदे का नवीनीकरण करा लें.

—मैनेजर

असम में मजदूरों पर कातिलाना हमलों की सीटू द्वारा कड़ी आलोचना

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 27 नवंबर को निम्नलिखित बयान जारी किया :

1. सीटू तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में असम के मजदूर जहां विदेशी नागरिकों के मसले के न्यायसंगत हल की मांग का समर्थन कर रहे हैं वहीं वे मौजूदा आंदोलन के नेताओं के पृथकतावादी मंसूबों के खिलाफ राष्ट्रीय एकता के झंडे को भी ऊंचा किए हुए है और और अपनी इस बहादुरी के कारण बर्बर हमलों का शिकार हो रहे हैं.

2. सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) तथा ज्वाइंट कमेटी आफ ट्रेड यूनियंस (जे. सी. टी. यू.), असम, की अपील पर एन. एफ. रेलवे हेडक्वार्टर्स, मालीगांव में ड्यूटी पर जाने की इच्छा रखने वाले मजदूरों पर पुलिस की मौजूदगी में किए गए बर्बर हमलों की सीटू कड़ी निंदा करती है. यूनाइटेड कमेटी आफ रेलवेमैन, एन. एफ. रेलवे के अध्यक्ष एस. के. घटक तथा अन्य कई मजदूरों पर कातिलाना हमला किया गया. 12 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा जिनमें से छः की स्थिति चिंताजनक है. सीटू काला पहाड़ के निकट आंदोलनों के समर्थकों द्वारा जूट मजदूरों पर किए गए कातिलाना हमले की भी निंदा करती है.

3. यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि स्थानीय प्रशासन की पृथकतावादी आंदोलनकारियों से मिली भगत चल रही है तथा सलाहकारों की हुकूमत काम पर जाने के इच्छुक लोगों को सुरक्षा प्रदान कर पाने तथा विदेशी नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए उचित वातावरण तैयार करने के लिए स्थिति को सामान्य कर पाने में नाकाम रही है. सलाहकार लोगों से ऐसे झूठे वायदे क्यों कर रहे हैं कि यदि लोग अपने काम पर पहुंचते हैं तथा स्थिति को सामान्य बनाने में सहायता करते हैं तो उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा ? स्थानीय पुलिस तथा आंदोलनकारियों को मजदूरों तथा अल्प-संख्यकों पर बर्बर हमले तथा लूट-पाट करने के लिए छुट्टा छोड़ दिया गया है, हालांकि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये लोग राष्ट्रीय एकता की पुरजोर हिमायत कर रहे हैं.

सीटू मांग करती है कि मजदूरों को संरक्षण देने से इन्कार करने वाले तथा हमलावरों के साथ सांठगांठ रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए.

4. सीटू मालीगांव तथा काला पहाड़ में घायल हुए लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करती है. सीटू प्लाइ-वुड, रेलवे तथा अन्य मजदूरों द्वारा राष्ट्रीय एकता की हिफाजत के लिए जारी संघर्ष की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है तथा उनका अनुसरण करने के लिए शेष भारत के मेहनत कश अवाम का आह्वान करती है. सीटू अपनी तमाम संबद्ध ट्रेड यूनियनों का आह्वान करती है कि वे इन हमलों के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करें तथा पृथकतावादी आंदोलन के आयोजकों द्वारा जूट प्लाइ-वुड वगैरह की नाकेबंदी के चलते महीनों से जीविका से वंचित मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए राहत सामग्री जुटाने का आह्वान करती है. □

खान दुर्घटनाओं में प्रबंधकों की गैर-जिम्मेदाराना भूमिका की एक और मिसाल

तीस सितंबर को सुबह सात बजे चरचा कोलियरी सुरगुहा जिला, मध्य प्रदेश में शटलकार द्वारा एक मजदूर की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई. उसी दिन दोपहर बाद करीब 2 बजे खान की छत गिरने के कारण शाम 5 बजे एक मृत और 31 बुरी तरह घायल मजदूरों को खदान से बाहर निकाला गया. उसी दिन रात को लगभग 11 बजे 31 में से 5 मजदूरों की जिनकी हालत चिंताजनक थी, जिला चिकित्सालय अंबिकापुर भेजा गया.

लेकिन उसी दिन रात को लगभग आठ बजे एक रेस्क्यू पार्टी घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए आई थी लेकिन अधिकारियों ने उन्हें निरीक्षण करने नहीं दिया. दो अक्तूबर को माइंस सेफ्टी जबलपुर के डिप्टी डायरेक्टर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. चरचा कोलियरी चिकित्सालय में जो घायल मजदूर भर्ती थे उनको प्रबंधकों ने जबरदस्ती डिस्चार्ज करा दिया. ये डिस्चार्ज होने के काबिल नहीं थे. जो मजदूर चल-फिर भी नहीं सकते थे उनको जबरन डिप्टी डायरेक्टर के सामने चलाकर बयान के लिए पेश कराया गया.

इलाके की स्थिति गंभीर है. हताहत मजदूरों की सही जानकारी अभी तक नहीं मिली है. दुर्घटनास्थल पर दिए गए मजदूरों के बयानों से पता चलता है कि कुछ मजदूर अभी भी खदान में दबे पड़े हैं जिनमें कुछ ठेकेदार के मजदूर भी हैं. और यही नहीं प्रबंधक मजदूरों को डरा-धमका कर सही बयान देने से रोक रहे हैं तथा वे दुर्घटना की सही रिपोर्ट को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

कोयला श्रमिक संघ (सीटू) विश्रामपुर कोलियरी के जनरल सेक्रेटरी एस. सुदेवन तत्काल घटनास्थल पहुंचे और ऊर्जा मंत्री सहित सभी अधिकारियों के पास तार-आदि भेज कर मांग की है कि दुर्घटना की तुरंत न्यायिक जांच कराई जाए और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए. □

बेल्ग्रेड में एशियन ट्रेड यूनियन गोष्ठी

यूगोस्लाविया की कनफेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंज़ ने तीसरी यूगोस्लाव-एशियन ट्रेड यूनियन गोष्ठी 21 सितंबर से 12 अक्तूबर के बीच बेल्ग्रेड में आयोजित की. इस गोष्ठी में भारत, पाकिस्तान, बंग्लादेश, श्रीलंका, जापान, इंदोनिशया व फिलिपीज के 17 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सीटू की ओर से सीटू उपाध्यक्ष सी. कन्नन ने गोष्ठी में भाग लिया.

गोष्ठी में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें मुख्य हैं—समाजवादी यूगोस्लाविया में ट्रेड यूनियनें, राजनीतिक शासन प्रणालियां तथा विश्व में विकास की समस्याएं व ट्रेड यूनियनें, गोष्ठी में भाषण देते हुए सीटू प्रतिनिधि सी. कन्नन ने राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय हालात का ब्यौरा दिया व विश्वस्तर पर मजदूर आंदोलन की एकजुटता की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने आशा प्रकट की कि विभिन्न देशों की ट्रेड यूनियनों के आपसी बिरादराना संबंध बढ़ते रहेंगे व एशियन जनता व मजदूर वर्ग में एकता मजबूत होने का क्रम बरकरार रहेगा. □

पटना में मजदूरों का विशाल प्रदर्शन

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक मजदूरों, केंद्रीय व राज्य सरकारों के कर्मचारियों, बीमा, बैंक, डाक व तार तथा अन्य संस्थाओं की स्थानीय शाखाओं ने 31 अक्तूबर को पटना में राज्य के मुख्य मंत्री के निवास स्थान के सामने स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में एक विशाल प्रदर्शन किया. स्थानीय संस्थाओं के ये कर्मचारी 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इन कर्मचारियों की मुख्य मांग हैं कि इनके वेतन व सेवाशर्तों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर कर दिया जाए. बिहार लोकलबाडीज एम्पलाईज फेडरेशन के साथ हुई बातचीत में बिहार सरकार ने यह मांग काफी समय पहले स्वीकार तो कर ली है किंतु इस पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया है.

मजदूरों व कर्मचारियों की इस विशाल सभा की अध्यक्षता गणेश शंकर विद्यार्थी एम.एल.ए. ने की. मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मांगपत्र मजिस्ट्रेट को सौंप दिया. □

नैशनल फर्टिलाइजर मजदूरों की जीत

नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के 5 हजार कर्मचारी 40 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद 11 अक्तूबर को द्विपक्षीय समझौता कराने में सफल हो गए हैं. अपने लंबे संघर्ष में कर्मचारियों ने प्रदर्शन, जुलूस, क्रमिक हड़ताल, 'नियमानुसार काम' आंदोलन तथा जनसभाएं आयोजित की थी.

समझौते के अनुसार विक्टिमाइजेशन के सारे मामले वापस ले लिए जाएंगे, 1979-80 के लिए वैधानिक बोनस मिलेगा, उत्पादन लक्ष्य पूरा करने पर प्रोत्साहन बोनस मिलेगा तथा भर्ती व पदोन्नति नीतियों में सुधार होगा. इस संघर्ष का नेतृत्व उद्योग में काम कर रही विभिन्न यूनियनों की समन्वय समिति ने किया था. □

अब जिल्द में उपलब्ध हैं

सीटू मजदूर 1979

के सभी अंक

कीमत : दस रुपये

और

सीटू के सभी हिंदी प्रकाशन

कीमत : पांच रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय :

6, तालकटोरा रोड,

नई दिल्ली-110001

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1980		
	जुलाई,	अगस्त,	सितं.
बिहार			
जमशेदपुर	386	388	394
झारिया	368	374	382
कोडर्मा	412	421	422
मोंघाइर	422	440	443
नोआमुंडी	377	379	385
गुजरात			
अहमदाबाद	371	372	374
भाव नगर	399	409	410
हरियाणा			
यमुना नगर	436	430	429
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	409	405	410
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	419	429	417
भोपाल	393	396	406
ग्वालियर	425	425	427
इंदौर	409	416	428
महाराष्ट्र			
बंबई	399	396	391
नागपुर	392	393	395
शोलापुर	401	403	407
पंजाब			
अमृतसर	408	416	424
राजस्थान			
अजमेर	420	422	422
जयपुर	433	438	445
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	389	398	407
सहारनपुर	401	405	411
वाराणसी	446	457	461
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	395	402	412
कलकत्ता	381	387	396
दार्जीलिंग	327	331	337
हावड़ा	363	370	374
जलपाइगुरी	331	339	348
रानीगंज	379	390	400
दिल्ली	423	428	430
भारत	394	397	402

ट्रेक्शन मजदूरों द्वारा काम बंद

अधिकारियों द्वारा सुरक्षा-नियमों में अनदेखी करने से कर्मचारियों की विद्युत-तार से चिपककर मौत होने के बारे में पिछले दो साल से इंडियन रेलवे ट्रेक्शन वर्कर्स एसोसिएशन ध्यान आकर्षित करती चली आ रही है. हालांकि यह स्वीकार किया गया था कि सुरक्षा के कपड़े और साधन दिए जाएंगे लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया. इसके परिणामस्वरूप गुजांदीह (ईस्टर्न) में सीताराम प्रसाद सिंह की बिजली तार से चिपक कर 26 सितंबर को मृत्यु हो गयी और धनबाद डिविजन के सभी ओ एच ई मजदूरों ने इसके विरोध में अपना काम बंद कर दिया जो अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण चार दिन तक चलता रहा. अन्य डिविजनों के मजदूरों ने बिरादराना संबंध दिखाते हुए एक सप्ताह तक काले बिल्ले पहने. इसने अधिकारियों को एसोसिएशन के नेताओं के साथ बातचीत करने व इस मसले को हल करने के लिए मजबूर कर दिया. □

लोको रनिंग स्टाफ द्वारा मांग दिवस

लोको रनिंग स्टाफ ने 4 अक्तूबर को देश भर में जनरल मैनेजरों के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करके 'मांग दिवस' मनाया. एस. ई. रेलवे में क्षेत्रीय समन्वय समिति के निर्णय पर जनरल मैनेजर के दफ्तर के बाहर उस दिन धरना दिया गया. पहले निर्णय लेने से केवल सदर्न रेलवे में 29 सितंबर को मांग दिवस मनाया गया जिसके बाद दक्षिणी क्षेत्र के सी सी आर यू के नेतृत्व में एक संयुक्त जन प्रतिनिधित्व किया गया. □

कर्मशियल क्लर्क द्वारा जन-हस्ताक्षर अभियान

आल इंडिया रेलवे कर्मशियल क्लर्क एसोसिएशन के नेतृत्व में कर्मशियल क्लर्कों ने जन हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया और डिविजनल रेलवे मैनेजर के सामने एक जनप्रतिनिधि द्वारा इसे पेश किया. अधूरे प्राप्त समाचारों के अनुसार 33 डिविजनों के मजदूरों ने इस अभियान का समर्थन किया और कुछ जगहों पर तो 80 प्रतिशत से भी ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए. एसोसिएशन की सी ई सी की बैठक नई दिल्ली में 24-25 नवंबर को हुई जिसमें स्थिति का ब्यौरा दिया गया और अभियान को बढ़ाने का निर्णय लिया गया. □

बैठक आदि

आल इंडिया मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन की वर्किंग कमेटी की बैठक 10-11 नवंबर को कलकत्ता में हुई जिसमें लोक सभा के अध्यक्ष को जन याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद के हालात पर विचार किया गया और आगे किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए कदम तय किए गए. एसोसिएशन के नेताओं ने पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और मेट्रो रेलवे के मुख्य कार्यालयों पर और हावड़ा व सियालदाह के डिविजनल कार्यालयों पर पांच जन सभाओं को संबोधित किया.

केजुअल श्रमिकों का एक अखिल भारतीय कनवेंशन ए आई आर एफ के नेतृत्व में 14-15 नवंबर को नेताजी सुभाष इंस्टीच्यूट, कलकत्ता में हुआ. कनवेंशन विभिन्न रेलवे कर्मचारियों द्वारा भारी तादाद में भाग लेने के कारण सफल रहा. कनवेंशन में एक 32 सूत्री मांगपत्र तैयार किया गया. जिसे केजुअल श्रमिकों की 15 नवंबर को मेट्रो और पूर्वी रेलवे के मैनेजरों को एक विशाल रैली द्वारा पेश किया गया. एक प्रतिनिधिमंडल ने भी कथित मांगपत्र एस ई रेलवे के जनरल मैनेजर को प्रदान किया.

इंजीनियरिंग मजदूरों की यूनियनों जो पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी, एन एफ और उत्तरी रेलवे ए आई आर एफ से अलग होकर कार्य करती है के प्रतिनिधियों की 25 नवंबर को दिल्ली में एक बैठक हुई. इसमें प्रत्येक क्षेत्र से दो प्रतिनिधियों की एक एड-हाक कमेटी बनाने का जो आल इंडिया आर्गनाइजेशन आफ इंजीनियरिंग वर्कर्स के लिए एक मांगपत्र व संविधान का मसविदा बनाएगी, का निर्णय लिया गया. उत्तरी रेलवे के एम. के. राय और एस ई रेलवे के जी. सी. विश्वास संयुक्त संयोजक नियुक्त हुए. सभी संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे विस्तृत मांग पत्र तैयार करने के लिए 25 दिसंबर तक अपने सुझाव भेज दें. □

कुद्रेमुख मजदूरों के समर्थन में एच एस सी एल यूनियनों द्वारा बिरादराना संघर्ष

एच एस सी एल की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक 15 नवंबर को कलकत्ता में हुई जिसमें कुद्रेमुख के संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में बिरादराना संघर्ष करने की योजना के बारे में विचार किया गया.

कुद्रेमुख मजदूरों की एक टीम सभी एच एस सी एल यूनिटों में जाएगी और उस समय प्रदर्शन आदि किए जाएंगे. सब जगह जाने के बाद कुद्रेमुखके मजदूर कलकत्ता में एच एस सी एल के मुख्यालय के सामने इन मजदूरों को काम पर वापस लेने की मांग के समर्थन में धरना करेंगे.

कलकत्ता में कंस्ट्रक्शन यूनियनों ने कई अवसरों पर कुद्रेमुख के मजदूरों के साथ प्रदर्शन किए.

बैठक में, कुद्रेमुख के निकाले गये कर्मचारियों के समर्थन में बिरादराना फंड के लिए एक रुपया प्रति एच एस सी एल मजदूर इकट्ठा करने का निश्चय गया गया है.

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने इंटक के नाजायज रवैये के कारण द्विपक्षीय मंच के निर्माण में आई अड़चनों के बारे में बताया. बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से पेश किए गए मांग पत्र पर तुरन्त बातचीत कराने की मांग के लिए एक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है.

बैठक में प्रबंधकों की योजनाओं के खिलाफ रोष प्रकट किया गया और इसके विरोध में मजदूरों को एकत्रित करने का निश्चय किया गया. □

वाम मोर्चे द्वारा 27 नवंबर को राजव्यापी बंद का आह्वान

पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी वामपंथी मोर्चे ने 11 नवम्बर को हुई अपनी सभा में केन्द्रीय सरकार के खिलाफ अपनी पांच सूत्रीय मांगों के समर्थन में और केन्द्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रस्ताव विरोध करने के लिए 27 नवम्बर को राज्य स्तर की आम हड़ताल का आह्वान किया है. अपने एक अलग वक्तव्य में पश्चिम बंगाल की सी. पी. आई. इकाई ने भी इसी दिन बंद की अपील की है. सीटू, एटक, यूटक, टी. यू. सी. सी., मरकेंटाइल एम्पलाईज यूनियनों की फेडरेशन और 12 जुलाई कमेटी की राज्य इकाइयों ने इस बंगाल बंद को अपना समर्थन दिया है. सोशलिस्ट पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई भी बंद को अपना पूरा सहयोग देगी.

वामपंथी मोर्चे की पांच सूत्रीय मांगें इस प्रकार है—(1) राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश तथा मजदूर विरोधी बिल सहित सभी अन्य दमनकारी अध्यादेशों और कानूनों की तुरंत वापसी. (2) एक संसदीय और छः राज्य विधानसभा की सीटों के उपचुनावों के स्थगित करने का विरोध क्योंकि यह एक लोकतंत्र विरोधी कदम है. यह कदम केन्द्र ने कांग्रेस (इ) के कहने पर बिना राज्य सरकार से बीतचीत किये उठाया है. (3) खाद्यान्न, खाने के तेल, चीनी, कपड़ा, मिट्टी का तेल, सीमेंट आदि जरूरी चीजों को मोहिया करने और उनकी आपूर्ति तथा पूरे देश में उनका वितरण उचित दर पर केन्द्र द्वारा हो. केन्द्र की कर-नीति में परिवर्तन हो. पश्चिम बंगाल के लिए केन्द्र चावल, आटे, चीनी, मिट्टी के तेल और डीजल आदि की अधिक आपूर्ति का आश्वासन दे. (4) "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न रोकी जाए और केन्द्र इन कार्यक्रमों के लिए पश्चिम बंगाल को काफी खाद्यान्न की आपूर्ति का आश्वासन दे. (5) पिछले तीन वर्षों में की गई पश्चिम बंगाल की आर्थिक और औद्योगिक योजनाओं से संबधित कुछ खास मांगों को शीघ्र लागू किया जाए. राज्य के लिए उन औद्योगिक परियोजनाओं को लागू किया जाए जो सिद्धांत रूप में केन्द्र ने मंजूर कर लिए हैं परंतु अभी तक लागू नहीं हुए हैं. राज्य और केन्द्र संबंधों को राज्य को अधिक वित्तीय सहायता देने के मुद्दे को लेकर दोबारा संगठित करना.

वामपंथी मोर्चे के सी. पी. आई. (एम) और अन्य हिस्सों ने फैसला किया है कि वे इस बंद के समर्थन में एक पाक्षिक कार्यक्रम पर अमल करेंगे जिसके अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ करने के लिए राज्यभर में रैलियां आयोजित की जाएंगी. पश्चिम बंगाल सीटू, एटक, यूटक, टी. यू. सी. सी. और मरकेंटाइल फेडरेशन सहित सभी वामपंथी ट्रेड यूनियनों ने मजदूर वर्ग से अपील की है कि इस बंद को सफल बनाने के लिए हार्दिक प्रयास करें. □

हल्दिया बंदरगाह में मजदूरों द्वारा काम बंद

कलकत्ता पोर्ट एंड शोर मजदूर यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में हल्दिया बंदरगाह के मजदुरों ने बंदरगाह अधिकारियों द्वारा छः यूनियन नेताओं को निलंबित करने व अन्य मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ 24 अक्तूबर से काम बंद कर दिया. बंदरगाह के मजदूर पिछले कुछ समय से यातायात सुविधाएं मिलने के सवाल पर आंदोलन कर रहे थे तथा इस मांग के समर्थन में उन्होंने पिछली 4 अक्तूबर को प्रदर्शन भी किया था. इस प्रदर्शन से चिढ़कर ही अधिकारियों ने मजदूर नेताओं को निलंबित करने का मजदूर-विरोधी कदम उठाया था. 'काम रोको' आंदोलन से हल्दिया बंदरगाह में काम ठप्प हो गया तथा इसका प्रभाव तेल शोधक कारखाने पर भी पड़ा.

राज्य के मुख्य मंत्री ज्योति बसु व श्रम मंत्री कृष्णपद घोष के हस्तक्षेप से कदम को वापस ले लिया गया. 29 अक्तूबर को सचिवालय में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में समझौता हो गया जिसके अनुसार बंदरगाह अधिकारियों ने मुअत्तिली के आदेश वापिस ले लेना मंजूर कर लिया. बंदरगाह में हालात सामान्य हो जाने के बाद यूनियन के 11-सूत्री मांगपत्र पर बातचीत शुरू होगी. □

बंगाल लैम्प फैक्ट्री में तालाबंदी जारी

कलकत्ता की बंगाल लैम्प फैक्टरी के प्रबंधकों ने कंपनी में तालाबंदी घोषित कर कर्मचारियों व मजदूरों से रोजगार छीन लिया है. प्रबंधक मजदूर-विरोधी रुख अपनाए हुए हैं व उन्होंने दिसंबर 1979 के वेतन समझौते को लागू करने से इंकार कर दिया है. प्रबंधको ने श्रम निदेशालय के सामने 5 मई को हुए बोनस समझौते को भी लागू नहीं किया है. मजदूर उस समय इस समझौतों के उल्लंघन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे जबकि 26 अगस्त को फैक्ट्री में अचानक तालेबंदी की घोषणा कर दी थी. मजदूर एकजुट हो अपने संघर्ष को चला रहे हैं जिससे कि प्रबंधकों को तालाबंदी उठाने पर मजबूर होना पड़े. □

दि वर्किंग क्लास

सी आई टी यू का अंग्रेजी मासिक

वार्षिक चंदा छः रुपये

एक प्रति की कीमत 50 पैसे

मिलने का पता—

सी. आई. टी. यू. कार्यालय

6 तालकटोरा रोड,

नई दिल्ली-110001

'भेल' भोपाल के अहाते में सशस्त्र पुलिस का फ्लैग मार्च

भोपाल स्थित 'भेल' की फैक्ट्री में पहली बार 4 नवंबर को मजदूरों को आतंकित करने व उनकी हड़ताल को तोड़ने के लिए सशस्त्र व घुड़सवार पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. पुलिस द्वारा आतंक का यह वातावरण भेल के प्रबंधकों के इशारे पर पैदा किया गया. भेल के प्रबंधकों द्वारा लाउडस्पीकरों पर बार-बार विभिन्न प्रकार की घोषणाएं किये जाने के बावजूद काफी बड़ी संख्या में मजदूर अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर गए.

इस दिन पुलिस द्वारा भेल कामगार ट्रेड यूनियन (सीटू) के महासचिव के.के.जी. कुट्टी सहित 13 प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारियों के बाद यूनियन के अध्यक्ष व महासचिव सहित सीटू के 7 कार्यकर्त्ताओं को मुअत्तिल कर दिया गया. एटक, एच.एम.एस व बी. एम. एस. के 9 कार्यकर्त्ताओं को भी मुअत्तिल कर दिया गया व एक कार्यकर्त्ता को नौकरी से निकाल दिया गया.

मजदूर 4 व 5 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई संयुक्त समिति की मीटिंग के निर्णयों का विरोध कर रहे थे. इस मुद्दे पर सीटू ने पहल की व सभी ट्रेड यूनियनों का एक संयुक्त मोर्चा स्थापित किया. केवल इंटक ने इस मोर्चे में भाग नहीं लिया, मजदूरों की मांग है कि उन्हें 20 प्रति शत बोनस दिया जाए. मजदूरों ने 14 अक्तूबर को मिलने वाला वेतन लेने से इंकार कर दिया व गेट मीटिंग आयोजित की. लगभग सभी मजदूरों ने इस कार्रवाई में भाग लिया. गुस्से में भरे मजदूरों ने वरिष्ठ मैनेजर, डी. जी. एम. एम., ई. डी. व अध्यक्ष का कुछ समय तक घेराव किया.

3 नवंबर को मजदूरों ने सफलतापूर्वक एक आम सभा आयोजित की व अगले दिन सांकेतिक हड़ताल करने का निश्चय किया. प्रबंधकों व इंटक ने पुलिस का साथ दिया तथा उसी रात धारा 144 लागू कर दी गई. पुलिस ने मजदूरों द्वारा लगाए गए माइक इत्यादि तोड़ दिए. 4 नवंबर को पहली पाली में केवल 3 प्रति शत मजदूरों ने काम किया. इसके बाद हड़ताल को असफल बनवाने के लिए प्रबंधकों ने मजदूर-विरोधी हथकंडों का खुले रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया. मजदूरों का मनोबल ऊंचा है और वे अपने अधिकारों को पाने के लिए व प्रबंधकों की जनवाद-विरोधी नीतियों का सामना करने के लिए कृतसंकल्प हैं. □

मध्य प्रदेश सीटू की वर्किंग कमेटी कीबैठक

सीटू की मध्य प्रदेश राज्य समिति की वर्किंग कमेटी की बैठक 20 व 21 अक्टूबर को भोपाल में हुई. मोतीलाल शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की. संसद सदस्य व सीटू सचिव ई. बालानंदन ने बैठक में भाग लिया. राज्य सीटू के महासचिव एस. कुमार ने सीटू के संगठन व गतिविधियों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की.

बैठक में बोलते हुए ई. बालानंदन ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की विस्तार से चर्चा की तथा इसमें मजदूर वर्ग की भूमिका के बारे में बताया. उन्होंने वर्तमान आर्थिक संकट व शासक पार्टी द्वारा इसका समाधान न कर पाने के कारणों की व्याख्या की. उन्होंने अधिनायकवाद, साम्प्रदायिकता व अंधक्षेत्रीयवादी ताकतों के खतरों के प्रति मजदूर वर्ग को आगाह किया तथा उनका आह्वान किया कि वे इनसे संघर्ष करने के लिए ट्रेड यूनियन व जनवादी आंदोलन को मजबूत बनाएं. सीटू की राज्य समिति का कार्यालय अब भोपाल लाया गया है.

बैठक में निश्चय किया गया कि मजदूर वर्ग की समस्याओं पर एक मांग-पत्र तैयार किया जाए, इसके समर्थन में 5 लाख हस्ताक्षर एकत्रित किए जायं व अगले वर्ष फरवरी में विधान सभा के सामने विशाल प्रदर्शन किया जाए. बैठक में सीटू की क्षेत्रीय समितियां बनाने का निचश्य भी किया गया.

बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गये जिनमे प्रमुख थे—राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश व मध्य प्रदेश पब्लिक सेफटी रूल की निंदा, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग तथा दक्षिण कोरिया के जनवादी नेता किम डाए जुंग यथा अन्य देशभक्तों की रिहाई की मांग.

वर्किंग कमेटी ने ठेका मजदूरों की समस्याओं पर विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय किया. कमेटी ने मजदूरों से कहा कि वह पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा सरकारों की उपलब्धियों को आम जनता में प्रचारित करें व इन्हें गिराने के षड़यंत्रों का विरोध करें.

वर्किंग कमेटी ने भेल मजदूरों द्वारा बोनस का बहिष्कार किए जाने को अपना पूरा समर्थन दिया व इस मामले में तत्काल केंद्रीय हस्तक्षेप किए जाने की मांग की. याद रहे कि भेल प्रबंधकों ने इस वर्ष एकतरफा रूप से 12 प्रतिशत बोनस देने की घोषणा की है जबकि इस वर्ष इसे पिछले वर्ष की तुलना में 9 करोड़ अधिक लाभ हुआ है. पिछले वर्ष भेल कर्मचारियों को 18 प्रति शत बोनस दिया गया था. □

तमिलनाडु सीटू की बैठक

सीटू की तमिलनाडु राज्य समिति के पदाधिकारी 12 नवंबर को मद्रास में मिले व उन्होंने निश्चय किया कि विभिन्न उद्योगों के मजदूरों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाए जाने का कार्यक्रम तैयार किए जाएं. इसमें 25 से 29 जनवरी के बीच एक ट्रेड यूनियन स्कूल आयोजित करने का निश्चय भी किया गया जिसमें 50 साथी भाग लेंगे. बैठक में कादंबरी कंस्ट्रक्शन, बी. एंड. सी. मिल, वदालुर सिरैमिक आदि में हो रहे मजदूर-संघर्षों की चर्चा की गई तथा इन्हें सफल बनाने के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई. □

शोक समाचार

कामरेड दिनेश मजूमदार

पश्चिम बंगाल विधान सभा में वामपंथी मोर्चे के मुख्य सचेतक और युवा आंदोलन के प्रमुख नेता कामरेड दिनेश मजूमदार ने 28 अक्टूबर को कलकत्ता के एस. एस. के. एम. अस्पताल में अंतिम सांस ली.

कामरेड मजूमदार का जन्म 1 जुलाई 1933 को हुआ था. उन्होंने स्कूल में पढ़ते हुए भी राजनीति में भाग लिया. उन्होंने रानाघाट में रूपाश्री कैंप के शरणार्थी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था और वे शरणार्थियों व विद्यार्थियों के संगठनकर्ता के रूप में विख्यात हुए. 1956 में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने. 1958 में वे बंगीया प्रादेशिक स्टूडेंट फेडरेशन के उपाध्यक्ष और 1968 में अध्यक्ष चुने गए.

1964 में कामरेड मजूमदार सी पी आइ (एम) की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सदस्य चुने गए और अपने देहांत तक इसके सदस्य रहे. 1968 में नई स्थापित डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन के वे पहले अध्यक्ष चुने गए थे. 1971 में जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र से वे विधानसभा सदस्य चुने गए और अपने देहांत तक वे वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे.

कामरेड मजूमदार युवा व विद्यार्थी आंदोलन के नेता होने के नाते लगातार पुलिस आक्रमणों का शिकार रहे. वे पहले 1954 में रूपाश्री शरणार्थी आंदोलन के सिलसिले में और बाद में 1964 में गिरफ्तार किए गए. अपने रिहा होने के तुरंत बाद 1966 में प्रेजीडेंसी कालेज गेट पर फिर से गिरफ्तार किए गए. 1967 में वे भूमिगत हो गए. उनके देहांत से पश्चिम बंगाल के वामपंथी मोर्चे को गहरा आघात पहुंचा है.

सी. आई. टी. यू. और 'सीटू मजदूर' कामरेड दिनेश मजूमदार की असामयिक मौत पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और उनके शोकग्रस्त परिवार से अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करती है. □

कामरेड पी. सी. जोशी

सुविख्यात कम्युनिस्ट कामरेड पूरनचंद जोशी का 73 वर्ष की आयु में लगातार बीमारी के कारण 9 नवंबर को देहांत हो गया.

कामरेड जोशी का जन्म 1907 में अल्मोड़ा में हुआ और 1928 में अपने विद्यार्थी जीवन में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने. वे 1934 से 1947 तक 13 साल के लिए पार्टी के महासचिव रहे. अंग्रेज शासकों द्वारा देश में बढ़ते हुए कम्युनिस्ट व मजदूर वर्ग आंदोलन को कुचलने के लिए चलाए गए प्रसिद्ध 'मेरठ षड़यंत्र केस' में वे भी शामिल थे.

कामरेड जोशी की मजदूरों किसानों व विद्यार्थियों के आंदोलन में और साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यों में काफी दिलचस्पी थी.

पिछले कुछ सालों से कामरेड जोशी बीमारी के कारण लगभग बिस्तर पर ही थे. देश का जनवादी व मजदूर वर्ग आंदोलन कामरेड जोशी के योगदान को हमेशा याद रखेगा.

सी. आई. टी. यू. और 'सीटू मजदूर' कामरेड जोशी के देहांत पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और उनके शोकग्रस्त परिवार से अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करती है. □

आल इंडिया स्टील कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ स्टील यूनियंज की 2 नवंबर को कलकत्ता में एक बैठक हुई जिसमें इस्पात उद्योग में कार्यरत ठेका मजदूरों के पहले से तैयार किए गए मांग-पत्र के द्वारा शक्तिशाली आंदोलन करने का निश्चय किया गया. इस बैठक में, ठेका मजदूरों के हालात पर व उनकी मांगों को लोकप्रियता दिलाने के लिए हिंदी व बंगाली में एक किताब प्रकाशित करना भी तय हुआ है. बाद में, बैठक में, ठेका मजदूरों की मांगों के समर्थन में स्टील-प्लांट के मजदूरों में अभियान शुरू करना भी तय हुआ है.

डी. भट्टाचार्य (बर्नपुर) ने बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में, इस्पात उद्योग में व्याप्त वर्तमान कठिनाइयों के बारे में गहराई से अध्ययन करने और इस्पात उत्पादन में गिरावट के बारे में बताते हुए मजदूरों के विरुद्ध निजी स्वार्थों द्वारा थोपे गए आरोपों का जबाब देना भी निश्चत किया गया है.

कमेटी में, इस्पात उद्योग के ठेका मजदूरों के समान वेतन को तय करने की मांग की गई हैं और ठेका मजदूरों की मांगों के लिए सीटू द्वारा चेयरमैन को दिये गये मांगपत्र को लोकप्रिय करने का निश्चय किया गया है.

बठक में, इस्पात उद्योग में बिक्री विभाग के ठेका मजदूरों की समस्याओं पर विचार किया गया और बिक्री विभाग के ठेका मजदूरों के रोजगार को नियमित करने का इस्पात श्रम बोर्ड की मांग का समर्थन करने का निश्चय किया गया है.

बैठक में, 20 नवंबर को अखिल भारतीय इस्पात ठेका मजदूर दिवस मनाने के लिए तैयारी पर विचार किया गया और इस दिवस को सही ढंग से मनाने के लिए जोर शोर से तैयारी करने का निर्णय लिया गया.

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने बैठक भाग लिया और इसका मार्ग दर्शन किया. □

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति मनोरंजन राय

नीरेन घोष सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, C-52, 53 डीडीए शैडस्, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित